(57)

संख्याः– 05 / VI-2 / 2012–71(17)2011

प्रेषक,

उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 07 जनवरी, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 2556 / सं0नि0उ0 / दो–3 / 2012–13 दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–607 / XXVII(1) / 2013, दिनांक 01 जनवरी, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुपूरक मांग द्वारा प्राप्त आयोजनेत्तर पक्ष में निम्न विवरणानुसार स्तम्भ–2 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में कुल ₹ 5.50 लाख **(₹ पांच लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

अनुदान संख्या–11

लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति–00–103–पुरातत्व विज्ञान–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 प्रतिशत के0सं0)–00

(धनराशि हजार ₹ में)

क0सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के सापेक्ष बजट का आवंटन। (आयोजनेत्तर)
1	2	3
1	16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
	योगः–	100

अनुदान संख्या–11

लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति–00–103–पुरातत्व विज्ञान–03 पुरातत्व अधिष्ठान–00

(धनराशि हजार ₹ में)

क0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के सापेक्ष बजट का आवंटन। (आयोजनेत्तर)
1	01– वेतन	100
2	03– मंहगाई भत्ता	70

3	06– अन्य भत्ते	30
4	16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	250
	योगः–	**450**
	महायोग	**550**

2– वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– उपरोक्त से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–255/VI–2/2012–71(17)/2011 दिनांक 24 अप्रैल, 2012, शासनादेश संख्या–413/VI–2/2012–71(17)/2011 दिनांक 25 जुलाई, 2012 तथा शासनादेश संख्या–482/VI–2/2012–71(17)/2011 दिनांक 26 अक्टूबर में उल्लिखित सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

4– यहा यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति–00–103–पुरातत्व विज्ञान–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 प्रतिशत के0 सं0)–00 तथा लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति–00–103–पुरातत्व विज्ञान–03 पुरातत्व अधिष्ठान–00 मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(उमाकान्त पंवार)
सचिव।

.....(3)

संख्याः– 05 /VI(2)/2011–21(3)2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।